

# कार्यालय प्राचार्य उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर, छ0ग0

तारबाहर बिलासपुर फोन नं.07752-644450

## आदेश

दिनांक. 05.08.2016

ज्ञाप.क्र. 1178/स्था0/एम.एड.(विभागीय) प्रशिक्षण/चयन/2016-18 बिलासपुर, संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर रायपुर, छ0ग0 पत्र क्रमांक/शिक्षक शिक्षा/30-1/एम.एड विभागीय/2016-17/3145 रायपुर दिनांक 05.07.2016 के निर्देशानुसार इस महाविद्यालय में गठित समिति द्वारा सहा.संचालक/प्राचार्य/व्याख्याता/व्याख्याता पंचायत संवर्ग को सत्र 2016-18 के लिए एम0एड0 प्रशिक्षण हेतु चयन करते हुए आदेशित किया जाता है कि निम्नांकित शिक्षक दिनांक 12.08.2016 तक उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान, बिलासपुर छ0ग0 में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रवेश ले लें।

स.क	नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	पद	कार्यरत संस्था	जिला
1	2	3	4	5
1	मुकेश कुमार खूटे	व्याख्याता प	शास. हाई स्कूल, मेऊ	जांजगीर-चाम्पा
2	गीतिका शर्मा	व्याख्याता प	शा. उ. मा. शाला जांजी	बिलासपुर
3	विजय कुमार साहू	व्याख्याता प	शा. उ. मा. शाला गंझियाडीह	जशपुर
4	विजय कुमार तिवारी	व्याख्याता प	शा. उ. मा. शाला कुटीघाट	बिलासपुर
5	राधा शर्मा	व्याख्याता प	शा. उ. मा. शाला पौंसरी	बिलासपुर
6	सीमा ठाकुर	व्याख्याता प	शा. उ. मा. शाला सेमरताल	बिलासपुर
7	रेखा दुबे	व्याख्याता प	शास. हाई स्कूल, मंजूर पहरी	बिलासपुर
8	सरस्वती राठौर	व्याख्याता प	शा. उ. मा. शाला आड़िल	सक्ति
9	सोलेश कुमार राठौर	व्याख्याता प	शा. उ. मा. शाला लवसरा	जांजगीर-चाम्पा
10	रामचन्द्र देवांगन	व्याख्याता प	शा. उ. मा. शाला कुटराबोड़	जांजगीर-चाम्पा
11	रीता गिरी	व्याख्याता प	शा. क. उ. मा. शाला, अधिना सल्का	सूरजपुर
12	भावना शर्मा	व्याख्याता प	शा. उ. मा. शाला बहतराई	बिलासपुर
13	मोतीलाल साहू	व्याख्याता प	शास. हाई स्कूल, खेमदा, मालखरोदा	जांजगीर-चाम्पा
14	मधु कौशिक	व्याख्याता प	शा. उ. मा. शाला बावली	मुंगेली
15	वाई. वी. पी. मणी	व्याख्याता प	शास. हाई स्कूल, धूमा	बिलासपुर
16	त्रिषिता पाल	व्याख्याता प	शास. हाई स्कूल, इटवा	बिलासपुर
17	रूपनारायण गुप्ता	व्याख्याता प	शा. उ. मा. शाला कलिया	जशपुर
18	मिताली सरकार	व्याख्याता प	शास. हाई स्कूल, कौंचरा	बिलासपुर
19	इतवारीराम कुर्रे	व्याख्याता प	शास. हाई स्कूल, बसहा	बिलासपुर
20	मनीष कुमार कौशिक	व्याख्याता प	शास. हाई स्कूल, देवटिकरा	सरगुजा
21	कमल यादव	व्याख्याता प	शा. उ. मा. शाला सोनसारी	जांजगीर-चाम्पा
22	गरिमा सहानी	व्याख्याता प	शा. उ. मा. शाला जरहागाँव	मुंगेली
23	रश्मि गुप्ता	व्याख्याता प	शा. उ. मा. शाला मल्हार	बिलासपुर
24	सैय्यद रफीक अली	व्याख्याता प	शा. उ. मा. शाला खजुरानी	जांजगीर-चाम्पा
25	विद्याभूषण शर्मा	व्याख्याता प	शा. उ. मा. शाला बरतोरी	बिलासपुर
26	नेहा मिश्रा	व्याख्याता प	शा. उ. मा. शाला जवाली	कोरबा
27	नूर मोहम्मद रिजवी	व्याख्याता	शा. क उ. मा. शाला सरकंडा	बिलासपुर
28	सी. संध्या	व्याख्याता प	शा. उ. मा. शाला बावली	मुंगेली

29	शीला शर्मा	व्याख्याता प	शा. उ. मा. शाला पौंसरी	बिलासपुर
30	ज्योति सक्सेना	व्याख्याता प	शा. मा. शाला हिरी	जांजगीर-चाम्पा
31	सुरेश कुमार शुक्ला	व्याख्याता	शा. बा. उ. मा. शाला लोरमी	मुंगेली
32	प्रीति गुरुदिवान	व्याख्याता प	शा. मा. शाला फरहदा	बिलासपुर
33	कामना वर्मा	व्याख्याता प	शा. उ. मा. शाला कमरीद	जांजगीर-चाम्पा
34	रसिया कुमार भोई	व्याख्याता प	शा. मा. शाला कया	रायगढ
35	शकुंतला सोनी	व्याख्याता प	शा. उ. मा. शाला बिटकुली	बिलासपुर

*Neelam*

प्राचार्य,

उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान  
बिलासपुर छ0ग0

प्रतिलिपि

पृ.क्र. 1179/स्था0/एम.एड.(विभागीय) प्रशिक्षण/ चयन /2016-18 बिलासपुर, दिनांक. 05.08.2016

1. संचालक ,राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रस्तुत ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत/नगर पंचायत/जनपद पंचायत.....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त को सूचित किया जाता है कि उक्त चयनित अभ्यर्थी को समयावधि में कार्यमुक्त करने हेतु संबंधित प्राचार्य को निर्देशित करें ।
4. संबंधित प्राचार्य ..... को निर्देशित किया जाता है कि चयनित शिक्षकों को दिनांक 10.08.2016 के पूर्व कार्यमुक्त करने की व्यवस्था करें। 12-8-16
5. संबंधित चयनित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यमुक्त होकर प्रवेश के लिए उपस्थित हों। प्रवेश प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12.08.2016 है। उसके पश्चात प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

*Neelam*

प्राचार्य,

उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान  
बिलासपुर छ0ग0

**कार्यालय प्राचार्य उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर, छ0ग0**

तारबाहर बिलासपुर फोन नं.07752-644450

**आदेश**

ज्ञाप.क्र. 1180/स्था0/एम.एड.(विभागीय) प्रशिक्षण/चयन/2016-18 बिलासपुर, दिनांक. 05.08.2016  
 संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर रायपुर, छ0ग0 पत्र क्रमांक/शिक्षक शिक्षा/30-1/एम.एड विभागीय/2016-17/3145 रायपुर दिनांक 05.07.2016 के निर्देशानुसार इस महाविद्यालय में गठित समिति द्वारा प्र. पाठक/शिक्षक/शिक्षक पंचायत/सहायक शिक्षक/सहा. शिक्षक पंचायत संवर्ग को सत्र 2016-18 के लिए एम0एड0 प्रशिक्षण हेतु चयन करते हुए आदेशित किया जाता है कि निम्नांकित शिक्षक दिनांक 12.08.2016 तक उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान, बिलासपुर छ0ग0 में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रवेश ले लें।

स. क्र	नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	पद	कार्यरत संस्था	जिला
1	2	3	4	5
1	अंजलि राय	शिक्षक पंचायत	शा. मा. शाला पचीरा	सूरजपुर
2	सुनील साहू	शिक्षक पंचायत	शा. उ. मा. शाला महावीर गंज	बलरामपुर
3	किरण त्रिपाठी	शिक्षक पंचायत	शा. पू. मा. शाला महाई	कोरिया
4	नीलिमा अग्रवाल	स. शिक्षक पंचायत	जन. प्रा. शाला सोनसरी	बिलासपुर
5	रामदयाल पांडेय	शिक्षक	आश्रम पू. मा. शाला, पिंडरी	रायगढ
6	बाबूलाल बरेट	शिक्षक पंचायत	शा. मा. शाला रोडे	कोरबा
7	मेघनाथ सूर्यवंशी	शिक्षक पंचायत	शा. पू. मा. शाला करूपान	मुंगेली
8	चन्द्रभूषण सिंह कांत	शिक्षक पंचायत	शा. पू. मा. शाला कैंवटीन डांड	जशपुर
9	सोन प्रभा दास	स. शिक्षक पंचायत	शा. प्रा. शाला उरांवपारा, असोला	सरगुजा

*(Signature)*

प्राचार्य,

उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान  
बिलासपुर छ0ग0

**प्रतिलिपि**

पृ.क्र. 1181/स्था0/एम.एड.(विभागीय) प्रशिक्षण/प्रतिक्षा चयन/2016-18 बिलासपुर, दिनांक. 05.08.2016

- संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रस्तुत।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/नगर पंचायत/जनपद पंचायत.....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त को सूचित किया जाता है कि उक्त चयनित अभ्यर्थी को समयावधि में कार्यमुक्त करने हेतु संबंधित प्राचार्य को निर्देशित करें।
- संबंधित प्राचार्य ..... को निर्देशित किया जाता है कि चयनित शिक्षकों को दिनांक 10.08.2016 के पूर्व कार्यमुक्त करने की व्यवस्था करें।
- संबंधित चयनित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यमुक्त होकर प्रवेश के लिए उपस्थित हों। प्रवेश प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12.08.2016 है। उसके पश्चात प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

*(Signature)*

प्राचार्य,

उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान  
बिलासपुर छ0ग0

### नियम शर्तें :-

1. प्रत्येक प्रशिक्षार्थी शैक्षिक एवं अन्य योग्यता के सभी प्रमाण-पत्र मूल में प्रस्तुत करेंगे साथ में दो-दो सत्यापित प्रति भी प्रस्तुत करेंगे। जन्म तिथि के प्रमाण हेतु हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नियुक्ति/पदोन्नति की मूल आदेश एवं छायाप्रति साथ में लाएं।
2. एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु बिलासपुर विश्वविद्यालय या छ.ग. राज्य के बाहर के वि.वि. से स्नातक/स्नातकोत्तर हुआ है तो पात्रता प्रमाणपत्र मूल प्रति एवं आवश्यकतानुसार माइग्रेशन एवं गेप सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।
3. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अभ्यर्थी जो स्नातक/स्नातकोत्तर में छूट का लाभ लिए हैं, वे स्थाई जाति प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
4. महाविद्यालय फीस एम.एड. प्रथम वर्ष 8000/- रु. एवं द्वितीय वर्ष रु. 7000. 00 मात्र प्रति प्रशिक्षार्थी देय होगा।
5. प्रवेश के समय अथवा 15 दिवस के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य होगा कि वह निर्धारित गणवेश का प्रबंध कर लें। पुरुषों के लिए काला फुलपेंट, सफेद फुलशर्ट, कालाजूता, सफेद मोंजा तथा महिलाओं के लिए निर्धारित रंग की साड़ी, एवं केनवास के जूते अनिवार्य हैं।
6. प्रत्येक प्रशिक्षण के समय पासपोर्ट आकार के दो फोटो जो सत्यापित हो प्रस्तुत करें।
7. शिक्षा संहिता के नियम के अनुसार यदि प्रशिक्षार्थी की प्रगति एवं आचरण संस्था प्रमुख द्वारा असंतोषजनक पाया गया तो उसे निहित प्रावधानों के अंतर्गत संस्था से अलग कर दिया जाएगा।
8. लंबी अवधि के अवकाश की पात्रता प्रशिक्षण अवधि में नहीं होगी। अन्यथा अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जावेगा। इस संबंध में संस्था प्रमुख का निर्णय अन्तिम होगा। सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत न्यूनतम उपस्थिति या प्रतिवेदन विश्वविद्यालय द्वारा मान्य-प्रतिमान्य की अपेक्षा कम पाया गया तो प्रशिक्षार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रविष्ट नहीं ही सकेगा। इसका उत्तरदायित्व प्रशिक्षार्थी पर होगा।
9. प्रवेश के तुरंत बाद किसी को अवकाश प्रदान नहीं किया जावेगा अतः पूर्व तैयारी के साथ प्रवेश के लिए आवें एवं चयनित उम्मीदवार का प्रशिक्षण में प्रवेश लेना अनिवार्य है।
10. किसी भी उम्मीदवार की आयु दिनांक 01.07.2016 तक की स्थिति में 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. किसी भी प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी इसे विशेष ध्यान रखें। साथ ही समयावधि का ध्यान रखें।
12. समस्त प्रमाण-पत्र मूल दस्तावेज से मिलान कर सही पाए जाने पर ही प्रवेश की पात्रता होगी। संस्था प्रमुख का निर्णय ही अंतिम होगा। गलत पाए जाने पर प्रवेश स्वमेव निरस्त हो जाएगा।

*Jepraulh'*  
प्राचार्य,

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय(आई.ए.एस.ई.)  
बिलासपुर छ0ग0

# कार्यालय प्राचार्य उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर, छ0ग0

तारबाहर बिलासपुर फोन नं.07752-644450


## आदेश

ज्ञाप.क्र. 1182/स्था0/एम.एड. प्रशिक्षण/चयन/2016-18 बिलासपुर,

दिनांक. 05.08.2016

संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर रायपुर, छ0ग0 पत्र क्रमांक/शिक्षक शिक्षा/30-1/एम.एड विभागीय/2016-17/3145 रायपुर दिनांक 05.07.2016 के निर्देशानुसार इस महाविद्यालय में गठित समिति द्वारा सीधी भर्ती संवर्ग को सत्र 2016-18 के लिए एम0एड0 प्रशिक्षण हेतु चयन करते हुए आदेशित किया जाता है कि निम्नांकित शिक्षक दिनांक 12.08.2016 तक उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान, बिलासपुर छ0ग0 में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रवेश ले लें।

स. क्र.	नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	कार्यरत संस्था	जिला
1	2	4	5
1	सरला ई एम्ब्रोम	772, मुर्दा भट्टा के निकट, सुमित्रा विहार हेमू नगर बिलासपुर	बिलासपुर
2	उषा यादव	110, दादार खुर्द, निकट आ.एस.एस. नगर कोरबा	कोरबा
3	प्रियंका गुप्ता	क्वा. न. 81, ग्रा. कोरंधा, पो. भटगाँव,	सूरजपुर
4	सरिता	ग्रा. झिरमिट्टी, पो., तह. उदयपुर	सरगुजा
5	कुसुम लता टंडन	क्वा. न. 42/1108, देवन्दन नगर, फेस- 1, सीपत रोड बिलासपुर	बिलासपुर

  
प्राचार्य,


उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान  
बिलासपुर छ0ग0

## प्रतिलिपि

पू.क्र. 1183/स्था0/एम.एड.(विभागीय) प्रशिक्षण/प्रतिक्षा चयन/2016-18 बिलासपुर,

दिनांक. 05.08.2016

1. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रस्तुत।

  
प्राचार्य,

उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान  
बिलासपुर छ0ग0

## नियम शर्तें :-

1. प्रत्येक प्रशिक्षार्थी शैक्षिक एवं अन्य योग्यता के सभी प्रमाण-पत्र मूल में प्रस्तुत करेंगे साथ में दो-दो सत्यापित प्रति भी प्रस्तुत करेंगे। जन्म तिथि के प्रमाण हेतु हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नियुक्ति/पदोन्नति की मूल आदेश एवं छायाप्रति साथ में लाएं।
2. एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु बिलासपुर विश्वविद्यालय या छ.ग. राज्य के बाहर के वि.वि. से स्नातक/स्नातकोत्तर हुआ है तो पात्रता प्रमाणपत्र मूल प्रति एवं आवश्यकतानुसार माइग्रेशन एवं गेप सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।
3. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अभ्यर्थी जो स्नातक/स्नातकोत्तर में छूट का लाभ लिए हैं, वे स्थाई जाति प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
4. महाविद्यालय फीस एम.एड. प्रथम वर्ष 8000/- रु. एवं द्वितीय वर्ष रु. 7000. 00 मात्र प्रति प्रशिक्षार्थी देय होगा।

5. प्रवेश के समय अथवा 15 दिवस के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य होगा कि वह निर्धारित गणवेश का प्रबंध कर लें। पुरुषों के लिए काला फुलपेंट, सफेद फुलशर्ट, कालाजूता, सफेद मोंजा तथा महिलाओं के लिए निर्धारित रंग की साड़ी, एवं केनवास के जूते अनिवार्य है।
6. प्रत्येक प्रशिक्षण के समय पासपोर्ट आकार के दो फोटो जो सत्यापित हो प्रस्तुत करें।
7. शिक्षा संहिता के नियम के अनुसार यदि प्रशिक्षार्थी की प्रगति एवं आचरण संस्था प्रमुख द्वारा असंतोषजनक पाया गया तो उसे निहित प्रावधानों के अंतर्गत संस्था से अलग कर दिया जाएगा।
8. लंबी अवधि के अवकाश की पात्रता प्रशिक्षण अवधि में नहीं होगी। अन्यथा अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जावेगा। इस संबंध में संस्था प्रमुख का निर्णय अन्तिम होगा। सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत न्यूनतम उपस्थिति या प्रतिवेदन विश्वविद्यालय द्वारा मान्य-प्रतिमान्य की अपेक्षा कम पाया गया तो प्रशिक्षार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रविष्ट नहीं ही सकेगा। इसका उत्तरदायित्व प्रशिक्षार्थी पर होगा।
9. प्रवेश के तुरंत बाद किसी को अवकाश प्रदान नहीं किया जावेगा अतः पूर्व तैयारी के साथ प्रवेश के लिए आवें एवं चयनित उम्मीदवार का प्रशिक्षण में प्रवेश लेना अनिवार्य है।
10. किसी भी प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी इसे विशेष ध्यान रखें। साथ ही समयावधि का ध्यान रखें।
11. समस्त प्रमाण-पत्र मूल दस्तावेज से मिलान कर सही पाए जाने पर ही प्रवेश की पात्रता होगी। संस्था प्रमुख का निर्णय ही अंतिम होगा। गलत पाए जाने पर प्रवेश स्वमेव निरस्त हो जाएगा।

*K. B. Chauhan*

प्राचार्य,

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय(आई.ए.एस.ई.)

बिलासपुर छ0ग0